


24.5.22 - पताबली प्रार्थनी व वल्लोड प्रार्थनी द्वारा प्रार्थना पत्र मेष -  
 वार दि. 01.07.22 से पताबली तलब जाहिराई जाकर बाद  
 ७ प्रार्थना पत्र विद्वे करेने हेतु नियेदन करेने पर आज  
 पेश हुई। जो प्रार्थना पत्र मूल बाद में शामिल है। प्रार्थना  
 पत्र पर वल्लोड प्रार्थनी को सुना जाकर पताबली का  
 अवलोकन व मनन किया गया। प्रार्थना पत्र को नाए  
 किया गया। चूंकि वल्लोड वादेनी व वादेमा प्रार्थना के  
 प्रार्थनी के पक्षमात्र के मध्य विवाद को निस्तारण  
 हो जाने पर बाद में प्रार्थना पत्र को विद्वे करेने हेतु नियेदन  
 किया है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्वरसवका विद्वे प्रार्थना पत्र में  
 अन्तर्गत धारा 212 श. 2 के अन्तर्गत किया जाता है।  
 पताबली को सबल शुभ्रा होकर जम्हा से काम हो कर  
 दाखिले दफतर हो। निर्णय बुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 निर निरूप  
 Identified  
 by me  
 \_\_\_\_\_  
 ACU

उपरि उद्धृत आधिकारिक  
 साँधर लेख

